40 पु.प्र/08-276.8

8 सू० अधि०/08

संख्याः प्र०सु० 16/43-2-2008-15/2 (7)

SL-24

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 14 जुलाई 2008

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत जन सूचना अधिकारियों हेतु मार्गदर्शिका।

महोदय,

जैसाकि आप अवगत हैं कि लोक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा लोक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व सूचना के प्रवाह को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार विषयक अधिनियम, 2005, दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी है।

2- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन में लोक प्राधिकरण (Public Authority) का जन सूचना अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिनियम के द्वारा उसे सौंपे गये कार्यों के निर्वहन में हुई त्रुटियों के लिये उस पर शास्ति लगाई जा सकती है। अतः जन सूचना अधिकारी के लिये यह आवश्यक है कि वह अधिनियम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इसके प्रावधानों को भली भाँति समझे। भारत सरकार द्वारा जन सूचना अधिकारियों के कार्यो के सम्बन्ध में अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करने वाली एक मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इसी आधार पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शिका की एक प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप कृपया अपने विभाग एवं अपने विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले निदेशालय/ अधीनस्थ कार्यालय/ सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों / संस्थाओं/ बोर्ड / आयोग आदि, के प्रत्येक लोक प्राधिकरणों में नामित जन सूचना अधिकारियों को मार्ग दर्शिका की एक-एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि यह मार्गदर्शिका उन्हें अपने कार्यो को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सहायक सिद्ध हो सके।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 13

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

उत्तदा० / छी हु०
25/7/08

जन सूचना अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका

सचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिका को किसी भी "लाक पाधिकरण" (Public Authority) स सचना पाप्त करन का अधिकार पदान करता ह। किसी लाक पाधिकरण का जन सचना अधिकारी नागरिका क सचना क अधिकार का मत्त रूप दन म मख्य भमिका निभाता ह। अधिनियम उस वि िाष्ट काय सापता ह आर किसी त्रटि क मामल म उस भास्ति हत जवाबदह ठहराता ह। अतः जन सचना अधिकारी क लिए यह आव यक ह कि वह अधिनियम का ध्यानपवक अध्ययन कर आर इसक पावधाना का भली–भांति समझ।

सूचना क्या है

2. किसी भी स्वरूप म काइ भी सामगी "सचना" ह। इसम किसी भी इलक्ट्रानिक रूप म धारित अभिलख, दस्तावज, ज्ञापन, इ–मल, मत, सलाह, पस विज्ञप्ति, परिपत्र, आद ा, लागबक, सविदा, रिपाट, कागजपत्र, नमन, माडल, आकडा सम्बन्धी सामगी भामिल ह। इसम किसी निजी निकाय स सम्बन्धित एसी सचना भी भामिल ह जिस लाक पाधिकरण तत्समय लाग किसी कानन क अन्तगत पाप्त कर सकता ह।

अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार

3 किसी नागरिक का किसी लाक पाधिकरण (Public Authority) स एसी सचना मागन का अधिकार ह, जा उस लाक पाधिकरण क पास उपलब्ध ह या उसक नियत्रण म उपलब्ध ह। इस अधिकार म लाक पाधिकरण क पास या नियत्रण म उपलब्ध कति, दस्तावजा तथा रिकाडा का निरीक्षण, दस्तावजा या रिकाडा क नाट, उद्धरण या पमाणित पतियां पाप्त करना, सामगी क पमाणित नमन लना भामिल ह।

4. अधिनियम नागरिका का, ससद–सदस्या आर राज्य विधान मण्डल क सदस्या क बराबर सचना का अधिकार पदान करता ह। अधिनियम क अनसार एसी सचना, जिस ससद अथवा राज्य विधानमण्डल का दन स इन्कार नही किया जा सकता, उस किसी व्यक्ति का दन स भी इन्कार नही किया जा सकता ।

5. नागरिका का डिस्कटस, फलापी, टप, वीडिया कसट या किसी अन्य इलक्ट्रानिक रूप म अथवा पिट आउट क रूप म सचना पाप्त करन का अधिकार ह, ब ातं कि मागी गइ सचना कम्प्यटर म या अन्य किसी यक्ति म पहल स सरक्षित ह, जिसस उस डिस्कट आदि म स्थानातरित किया जा सक।

6. आवदक का सचना सामान्यतः उसी रूप म पदान की जानी चाहिए, जिसम वह मागता ह। तथापि, यदि किसी वि ाश स्वरूप म मांगी गइ सचना की आपति स लाक पाधिकरण क ससाधना का अनपक्षित ढग स विचलन हाता ह या इसस रिकाडा क परिरक्षण म काइ हानि की सम्भवना हाती ह, ता उस रूप म सचना दन स मना किया जा सकता ह।

7. अधिनियम क अन्तगत सचना का अधिकार कवल भारत क नागरिका का पाप्त ह। अधिनियम म निगम, संघ, कम्पनी आदि का, जा वध हस्तिया/व्यक्तिया की परिभाशा क अन्तगत ता आत ह, किन्त नागरिक की परिभाशा म नही आत, का सचना दन का काइ पावधान नही ह। फिर भी, यदि किसी निगम, संघ, कम्पनी, गर सरकारी संगठन आदि क किसी एस कमचारी या अधिकारी द्वारा पाथना पत्र दिया जाता ह, जा भारत का नागरिक ह, ता उस सचना दी जायगी, ब ात वह अपना नाम इगित कर। एस मामल म, यह पकल्पित हागा कि एक नागरिक द्वारा निगम आदि क पत पर सचना मांगी गइ ह।

8. अधिनियम क अन्तगत कवल एसी सचना पदान करना अपक्षित ह, जा लाक पाधिकरण क पास पहल स माजद ह अथवा उसक नियत्रण म ह। जन सचना अधिकारी द्वारा सचना सजित करना; या सचना की व्याख्या करना; या आवदक द्वारा उठाइ गइ समस्याआ का समाधान करना; या काल्पनिक प ना का उत्तर दना अपक्षित नही ह।

प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना

9. इस अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) आर धारा 9 म सचना की एसी श्रणिया का विवरण दिया गया ह, जिन्ह पकटीकरण स छट पाप्त ह। फिर भी, धारा 8 की उप– धारा (2) म यह पावधान ह कि उप–धारा (1) क अन्तगत छट पाप्त अथवा भासकीय गापनीय अधिनियम, 1923 क अन्तगत छट पाप्त सचना का पकटीकरण किया जा सकता यदि पकटीकरण स, सरक्षित हित का हान वाल नकसान की अपक्षा वहत्तर लाक हित सधता हा। इसक अलावा धारा 8 की उप–धारा (3) म यह पावधान ह कि उप–धारा (1) क खण्ड (क), (ग) आर (झ) म उपबन्धित सचना क सिवाय उस उप–धारा क अन्तगत पकटीकरण स छट पाप्त सचना, सम्बधित घटना क घटित हान की तारीख क 20 वश बाद पकटीकरण स मक्त नही रहगी।

10. स्मरणीय ह कि अधिनियम की धारा 8 (3) क अनसार लाक पाधिकरिया (Public Authority) स यह अपक्षा नही की गइ ह कि व अभिलखा का अनन्त काल तक सरक्षित रख । लाक पाधिकरण का पाधिकरण म लाग अभिलख धारण अनसची क अनसार ही अभिलखा का सरक्षित रखना चाहिए। किसी फाइल म सजित जानकारी

फाइल/अभिलख क नश्ट हा जान क बाद भी कायालय ज्ञापन अथवा पत्र अथवा किसी भी अन्य रूप म माजद रह सकती ह। अधिनियम क अनसार यह अपक्षित ह कि धारा 8 की उप–धारा (1) क अन्तगत–पकटन स छट पाप्त हान क बावजद भी, 20 वश बाद इस पकार उपलब्ध जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। अथ यह ह कि एसी जानकारी जिस सामान्य रूप स अधिनियम की धारा 8 की उप – धारा (1) क अन्तगत पकटन स छट पाप्त ह, जानकारी स सम्बन्धित घटना क घटित हान क 20 वश बाद एसी छट स मक्त हा जायगी। तथापि, निम्नलिखित पकार की जानकारी क लिए पकटन स छट जारी रहगी आर 20 वश बीत जान क बाद भी एसी जानकारी का किसी नागरिक का दना बाध्यकारी नही हागा–

(i) एसी जानकारी जिसक पकटन स भारत की संपभता आर अखण्डता, राश्ट्र की सरक्षा, सामरिक, वज्ञानिक आर आथिक हित, विद ा क साथ सम्बन्ध पतिकल रूप स पभावित हाती हा अथवा किसी अपराध का करन का उद्दीपन हाता हा;

(ii) एसी जानकारी जिसक पकटन स विधान मण्डल क वि ाशाधिकार की अवहलना हाती हा; अथवा

(iii) अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) क खण्ड (झ) क पावधान म दी गइ भता क अधीन मत्रिपरिशद, सचिवा आर अन्य अधिकारिया क विचार–विम ा सहित मत्रिमण्डलीय दस्तावज।

सूचना का अधिकार का अध्यारोही प्रभाव होना

11. सचना का अधिकार अधिनियम क उपबन्ध , भासकीय गापनीयता अधिनियम, 1923 आर तत्समय पभावी किसी अन्य कानन म एस पावधान, जा सचना का अधिकार अधिनियम क पावधाना स असंगत ह, की स्थिति म सचना का अधिकार अधिनियम क पावधान पभावी हाग।

आवेदकों को सहायता प्रदान करना

12. जन सचना अधिकारी का यह कतव्य ह कि वह सचना मांगन वाल व्यक्तिया का यक्तियक्त सहायता पदान कर। अधिनियम क पावधाना क अनसार सचना पाप्त करन क इच्छक व्यक्ति स अपक्षित ह कि वह अगजी अथवा हिन्दी अथवा जिस क्षत्र म आवदन किया जाना ह, उस क्षत्र की राजकीय भाशा म लिखित अथवा इलक्ट्रानिक माध्यम स अपना निवदन पस्तत कर। यदि काइ व्यक्ति लिखित रूप स निवदन दन म असमथ ह, ता जन सचना अधिकारी स अपक्षा की जाती ह कि वह एस व्यक्ति का लिखित रूप म आवदन तयार करन म यक्तियक्त सहायता करगा।

13. यदि किसी दस्तावज का, संवदनात्मक रूप स नि: ाक्त व्यक्ति का उपलब्ध कराना अपक्षित ह, ता जन सचना अधिकारी का एस व्यक्ति का समचित सहायता पदान करनी चाहिए, ताकि वह सचना पाप्त करन म सक्षम हा सक। यदि दस्तावज की जांच करनी हा, ता उस व्यक्ति का एसी जांच क लिए उपयक्त सहायता पदान की जानी चाहिए।

जन सूचना अधिकारी को उपलब्ध सहायता

14 जन सचना अधिकारी किसी भी अन्य अधिकारी स एसी सहायता मांग सकता ह, जिस वह अपन कतव्य क समचित निवहन क लिए आव यक समझता हा। अधिकारी, जिसस सहायता मांगी जाती ह, जन सचना अधिकारी का सभी पकार की सहायता पदान करगा। एस अधिकारी का जन सचना अधिकारी माना जाएगा आर वह अधिनियम क पावधाना क उल्लंघन क लिए उसी पकार उत्तरदायी हागा, जिस पकार काइ अन्य जन सचना अधिकारी हाता ह। जन सचना अधिकारी क लिए यह उचित हागा कि जब वह किसी अधिकारी स सहायता मांग, ता उस अधिकारी का उपयक्त पावधान स अवगत करा द।

सूचना का अपनी ओर से प्रकटन

15 अधिनियम की धारा 4 क पावधाना क अनसार पत्यक लाक पाधिकरण (Public Authority) क लिए अपन संगठन, इसक कियाकलापा, कतव्या आर अन्य विशया आदि क ब्यारा का स्वत: पकटन करना बाध्यकारी ह। धारा 4 की उप–धारा (4) क अनसार, इस पकार स पका ित जानकारी इलक्ट्रानिक फामट म जन सचना अधिकारी क पास सलभ हानी चाहिए। जन सचना अधिकारी का यह सनि िचत करन का भरसक पयास करना चाहिए कि लाक पाधिकारी द्वारा धारा 4 की अपक्षाए परी की जाए आर लाक पाधिकरण क संबध म अधिकतम सचना इटरनट पर उपलब्ध हा। इसस दा लाभ हाग; पथम, अधिनियम क अतगत आवदना की संख्या म कमी आएगी आर द्वितीय, यह सचना पदान करन क काय का सकर बनाएगा, क्याकि अधिकतम सचना एक ही स्थान पर उपलब्ध हागी।

सूचना मॉगने का षुल्क

16 आवदनकता स अपक्षित ह कि वह अपन आवदन पत्र क साथ आवदन भल्क 10/– (दस रूपए) डिमांड ड्राफ्ट अथवा बकस चक अथवा भारतीय पास्टल आडर क रूप म लाक पाधिकरण क नाम स भज। भल्क का भगतान लाक पाधिकरण अथवा

जन सचना अधिकारी अथवा सहायक जन सचना अधिकारी को नकद भी किया जा सकता है। एसे में आवेदनकर्ता को उपयुक्त रसीद अव य पाप्त कर लेनी चाहिए।

17. सचना की आपति के लिए उत्तर पद । सचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006 के द्वारा भुल्क का पावधान भी किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

(क) सजित अथवा फोटोकॉपी किए हुए पत्येक पृष्ठ के लिए (ए 4 अथवा ए 3 आकार कागज के लिए) दो रूपए (2/– रूपए) ;
(ख) बडे आकार के कागज में कापी का वास्तविक पभार अथवा लागत कीमत;
(ग) नमनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत अथवा कीमत;
(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घण्टे के लिए दस रूपए का भुल्क और उसके बाद पन्दह मिनट (या उसके खण्ड) के लिए पांच रूपए का भुल्क ;
(ड.) डिस्कट अथवा फलापी में सचना पदान करने के लिए पत्येक डिस्कट अथवा फलापी पचास रूपए (50/–रूपए); और
(च) मुदित रूप में दी गई सचना के लिए, एसे पका ान के लिए नियत मूल्य पर अथवा पका ान के उद्धरणों की फोटोकॉपी के लिए दो रूपए पति पृष्ठ।

18 गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले आवेदनकर्ताओं को किसी पकार का भुल्क देने की आव यकता नही है। तथापि, उसे गरीबी रेखा के नीचे के स्तर का होने के दावे का पमाणपत्र पस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित 10/– रूपए के भुल्क अथवा आवेदनकर्ता के गरीबी रेखा के नीचे वाला होने का पमाण, जैसा भी मामला हो, नही होने पर आवेदन को अधिनियम के अंतर्गत वैध नही माना जाएगा और इसीलिए, एसे आवेदक को अधिनियम के अंतर्गत सचना पाप्त करने का हक नही होगा।

आवेदन की विषय-वस्तु और प्रपत्र

19 आवेदक को सचना मांगने के लिए उससे सम्पर्क करने के लिए आव यक विवरण के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्तिगत ब्योरा देना आव यक नही है। साथ ही, अधिनियम अथवा पवत्त नियमों में सचना पाप्त करने हेतु आवेदन का कोई निर्धारित पपत्र नही है। इसीलिए, आवेदक से सचना का निवेदन करने का कारण बताने अथवा अपने रोजगार इत्यादि का ब्योरा देने अथवा किसी वि ाष्ट पपत्र पर आवेदन पस्तुत करने के लिए नही कहा जाना चाहिए।

अवैध आवेदन

20. आवदन पत्र करन क तुरत बाद जन सुचना अधिकारी का यह जांच करनी चाहिए कि क्या आवदक न 10/—रूपए क आवदन भुल्क काभुगतान कर दिया ह अथवा क्या आवदक गरीबी रखा क नीच क परिवार स ह। यदि आवदन क साथ निधारित भुल्क अथवा गरीबी रखा क नीच का पमाणपत्र संलग्न नही ह, ता इस सुचना का अधिकार अधिनियम क अतगत वध आवदन नही समझा जाएगा। एस आवदन का अस्वीकृत किया जा सकता ह।

आवेदन का हस्तांतरण

21. यदि आवदन क साथ निधारित भुल्क अथवा गरीबी रखा क नीच का पमाणपत्र संलग्न ह, ता जन सुच ना अधिकारी का दखना चाहिए कि क्या आवदन की विशय वस्तु अथवा उसका काइ खण्ड किसी अन्य लाक पाधिकरण स संबधित ता नही ह। यदि आवदन की विशय—वस्तु किसी अन्य लाक पाधिकरण स संबधित हा, ता उक्त आवदन का सम्बद्ध लाक पाधिकरण का हस्तातरित कर दिया जाना चाहिए। यदि आवदन आ िाक रूप स ही अन्य लाक पाधिकरण स संबधित ह, ता उस लाक पाधिकरण स संबधित खण्ड का स्पश्ट रूप स विनिदिश्ट करत हुए आवदन की एक पति उस लाक पाधिकरण का भज दनी चाहिए। आवदन का हस्तातरण करत समय अथवा उसकी पति भजत समय संबधित लाक पाधिकरण का सुचित किया जाना चाहिए कि आवदन ाुल्क पाप्त कर लिया गया ह। आवदक का उसक आवदन क स्थानातरण क बार म तथा उस लाक पाधिकरण, जिसका उनका आवदन अथवा उसकी एक पति भजी गइ ह, क ब्यारा क बार म भी सुचित कर दना चाहिए।

22. आवदन अथवा उसक भाग का हस्तातरण जितना जल्दी संभव हा, कर दना चाहिए। यह ध्यान रखा जाए कि हस्तातरण करन म आवदन की पति की तारीख स पाच दिन स अधिक का समय न लग। यदि काइ जन सुचना अधिकारी किसी आवदन की पाप्ति क पाच दिन क बाद उस आवदन का स्थानातरित करता ह ता उस आवदन क निपटान म हान वाल विलम्ब म स इतन समय क लिए वह जिम्मदार हागा जा उसन स्थानातरण म 5 दिन स अधिक लगाया।

23. उस लाक पाधिकरण (Public Authority) *का जन सुचना अधिकारी जिस आवदन हस्तातरित किया गया ह, इस आधार पर आवदन क हस्तातरण का नामजूर नही कर सकता कि उस आवदन 5 दिन क भीतर हस्तातरित नही किया गया।*

24. काइ लाक पाधिकरण (Public Authority) *अपन लिए जितन आव यक समझ उतन जन सुचना अधिकारी पदनामित कर सकता ह। यह संभव ह कि एस*

लाक पाधिकरण जिसम एक स अधिक जन सचना अधिकारी हा, काइ आवदन सबधित जन सचना अधिकारी क बजाय किसी अन्य जन सचना अधिकारी का पाप्त हा। एस मामल म आवदन पाप्त करन वाल जन सचना अधिकारी का इस सबधित जन सचना अधिकारी का यथा ाीघ, अधिमानत:, उसी दिन हस्तातरित कर दना चाहिए। हस्तातरण क लिए पाच दिन की अवधि कवल तभी लाग हाती ह जब आवदन एक लाक पाधिकरण स दसर लाक पाधिकरण का हस्तातरित किया जाता ह ना कि तब जब हस्तातरण एक ही पाधिकरण क एक जन सचना अधिकारी स दसर जन सचना अधिकारी का हा।

सूचना की आपूर्ति

25. सचना दन वाल जनसचना अधिकारी का दखना चाहिए कि मागी गइ सचना अथवा उसका काइ भाग अधिनियम की धारा–8 अथवा 9 क अतगत पकटीकण स छट स आच्छादित ता नही ह। पकटीकण स छट क अतगत आन वाल भाग क सबध म किए गए अनराध का नामजर कर दिया जाए तथा ाश सचना तत्काल अथवा अतिरिक्त ाल्क लन क बाद, जसा भी मामला हा, उपलब्ध करवा दी जाए।

26. जब सचना क लिए अनराध का नामजर किया जाय ता जन सचना अधिकारी का अनराध करन वाल व्यक्ति का निम्नलिखित जानकारी दनी चाहिय :–

(i) अस्वीकति क कारण ;

(ii) अवधि जिसम अस्वीकत क विरुद्ध अपील दायर की जा सक ; आर

(iii) उस पाधिकारी का ब्यारा जिसस अपील की जा सकती ह।

27. यदि सचना का अधिकार (फीस आर लागत विनियमन) नियमावली, 2006 म किय गय पाविधान क अनसार आवदक द्वारा अतिरिक्त ाल्क का भगतान करना अपक्षित हा, ता जन सचना अधिकारी आवदक का निम्न सचना दगा :–

(i) सचना पाप्त करन हत अपक्षित ाल्क का विवरण ;

(ii) मांगी गयी ाल्क की रा ि निधारित करन हत की गइ गणना ;

(iii) यह तथ्य कि आवदक का इस पकार मांग गए ाल्क क बार म अपील करन का अधिकार ह ;

(iv) उस पाधिकारी का विवरण जिसस अपील की जा सकती ह ; आर

(v) समय सीमा जिसक भीतर अपील की जा सकती ह ।

पृथक्करण द्वारा आंशिक सूचना की आपूर्ति

28 यदि किसी एसी सचना क लिए आवदन पाप्त हाता ह जिसक कछ भाग का ता पकटीकरण स छट मिली हइ ह लकिन उसका कछ भाग एसा ह जा छट क अन्तगत नही आता ह आर जिस इस पकार पथक किया जा सक कि पथक किय हय भाग म छट पाप्त जानकारी बच पाय, ता जानकारी क एस पथक किय हए भाग/ रिकाड का आवदक का उपलब्ध कराया जा सकता ह। जहां रिकाड क किसी भाग क पकटीकरण का इस तरीक स अनमति दी जाय ता जन सचना अधिकारी का आवदक का यह सचित करना चाहिय कि मांगी गयी सचना का पकटीकरण स छट पाप्त ह तथा रिकाड क मात्र एस भाग का पथक्करण क बाद उपलब्ध कराया जा रहा ह जिसका पकटीकरण स छट पाप्त नही ह । एसा करत समय, उस निणय क कारण बतान चाहिय । साथ ही उस सामगी, जिस पर निष्कश आधारित था, का सदभ दत हए सामगीगत प ना पर निष्कश भी बताना चाहिय । इन मामला म जन सचना अधिकारी का सचना की आपति स पहल समचित पाधिकारी का अनमादन लना चाहिय तथा निणय लन वाल अधिकारी क नाम तथा पदनाम की सचना भी आवदक का दनी चाहय।

सूचना की आपूर्ति के लिए समय अवधि

29 जन सचना अधिकारी का सचना की आपति अनराध की पाप्ति क तीस दिना क भीतर कर दनी चाहिय । यदि मांगी गइ सचना का सबध किसी व्यक्ति क जीवन अथवा स्वातंत्र्य स हा ता सचना आवदन की पाप्ति क अडतालीस घट क भीतर उपलब्ध करना अपक्षित ह।

30 पत्यक लाक पाधिकरण स अपक्षित ह कि वह पत्यक उप पभागीय स्तर अथवा अन्य उप जिला स्तर पर सहायक जन सचना अधिकारी नामित कर जा अधिनियम क अन्तगत आवदना अथवा अपीला का पाप्त कर सक आर उन्ह जन सचना अधिकारी अथवा अपीलीय पाधिकारी अथवा राज्य सचना आयाग का अगसारित कर सक। यदि सचना क लिए काइ अनराध सहायक जन सचना अधिकारिया क माध्यम स पाप्त हाता ह ता सहायक जन सचना अधिकारी द्वारा आवदन पाप्त हान क 35 दिन क भीतर तथा यदि मांगी गइ सचना व्यक्ति क जीवन तथा स्वातंत्र्य स सबधित हा, ता सचना अनराध पाप्ति क 48 घटा जमा 5 दिन क भीतर उपलब्ध करा दी जानी चाहिय।

31 उपयक्त परा 21 म सदभित एक लाक पाधिकरण स दसर लाक पाधिकरण का स्थानातरित किय गय सामान्य आवदन का उत्तर सम्बधित लाक पाधिकरण का उसक द्वारा आवदन पाप्ति क 30 दिन क भीतर द दना चाहिय । यदि मांगी गइ

सचना व्यक्ति क जीवन तथ स्वातंत्र्य स संबधित हा ता 48 घंट क भीतर सचना उपलब्ध करवा दी जानी चाहिय ।

32. यदि आवदक स सचना पाप्त करन हत काइ भल्क दन का कहा जाता ह ता भल्क क भगतान क बार म सचना क पशण तथा आवदक द्वारा भल्क का भगतान करन क बीच की समय अवधि का उत्तर दन की अवधि क उदद य स नही गिना जायगा । निम्न तालिका म विभिन्न परिस्थितिया म आवदना क निपटान क लिए निधारित समय सीमा का द ाया गया ह :–

क्र0स0	परिस्थिति	आवदन का निपटान करन हत समय–सीमा
1.	सामान्य स्थिति म सचना की आपति	30 दिन
2.	यदि सचना व्यक्ति क जीवन अथवा स्वातंत्र्य स संबधित हा ता इसकी आपति	48 घंट
3.	यदि आवदन सहायक जन सचना अधिकारी क माध्यम स पाप्त हाता ह ता सचना की आपति	क0स0 1 तथा 2 पर द ायी गइ समय अवधि म 5 दिन आर जाड दिए जाएग
4.	यदि आवदन/अनराध अन्य लाक पाधिकरण स स्थानातरित हान क बाद पाप्त हात ह ता सचना की आपति (क) सामान्य स्थिति म (ख) यदि सचना व्यक्ति क जीवन तथा स्वतंत्रता स संबधित हा	(क) सबधित लाक पाधिकरण द्वारा आवदन की पाप्ति क 30 दिन क भीतर (ख) संबधित लाक पाधिकरण द्वारा आवदन की पाप्ति क 48 घंटा क भीतर
5.	यदि सचना तीसरी पाटी स संबधित ह तथा तीसरी पाटी न इस गापनीय माना हा ता सचना की आपति	इन मागनिद ा क परा 37 स 41 म दी गइ पकिया का पालन करत हए उपलब्ध करवाइ जाए
6.	यदि सचना की आपति जिसम आवदक का भल्क का भगतान करन का कहा गया हा	आवदक का भल्क क बार म सचित करन तथा आवदक द्वारा भल्क क भगतान क बीच की अवधि का उत्तर दन की दश्टि स नही गिना जाएगा।

33. यदि जन सूचना अधिकारी जानकारी क लिए अनुराध पर निधारित समय म निणय दन म असफल रहता ह ता यह माना जायगा कि जन सूचना अधिकारी न अनुराध का अस्वीकार कर दिया ह । यह बताना पासागिक हागा कि यदि काइ लाक पाधिकरण सूचना दन की समय सीमा का पालन नही कर पाता ह ता सबधित आवदक का सूचना बिना भुल्क मुहया करवायी जानी हागी ।

पर व्यक्ति (Third Party) की सूचना

34. इस अधिनियम क संदभ म पर व्यक्ति का तात्पय आवदक स भिन्न अन्य व्यक्ति स ह । एस लाक पाधिकरण भी पर व्यक्ति की परिभाश म भामिल हाग जिसस सूचना नही मांगी गइ ह ।

35. स्मरणीय ह कि वाणिज्यिक गुप्त बाता, व्यवसायिक रहस्या आर बाद्धिक संपदा सहित एसी सूचना, जिसक पकटन स किसी पर व्यक्ति की पतियागी स्थिति का क्षति पहुंचती हा, का पकटन स छूट पाप्त ह । धारा –8 (1) (घ) क अनुसार यह अपक्षित ह कि एसी सूचना का पकट न किया जाय जब तक कि सक्षम पाधिकारी इस बात स आ वस्त न हा कि एसी सूचना का पकटन वृहत लाक हित म ह ।

36. यदि काइ आवदक एसी सूचना मांगता ह जा किसी पर व्यक्ति स संबध रखती ह अथवा उसक द्वारा उपलब्ध करवायी जाती ह आर पर व्यक्ति न एसी सूचना का गापनीय माना ह , ता जन सूचना अधिकारी स अपक्षित ह कि वह सूचना का पकट करन अथवा न करन पर विचार कर । एस मामला म मागद ी सिद्धान्त यह हाना चाहिय कि यदि पकटन स पर व्यक्ति का संभावित हानि की अपक्षा वृहत्तर लाक हित सधता हा ता पकटन की स्वीकृति द दी जाय ब ात कि सूचना कानून द्वारा संरक्षित व्यवसायिक अथवा वाणिज्यिक रहस्या स संबधित न हा। तथापि , एसी सूचना क पकटन स पहल नीच दी गयी पकिया का अपनाया जाय । यह ध्यान दन याग्य बात ह कि इस पकिया का कवल तभी अपनाया जाना ह जब पर व्यक्ति न सूचना का गापनीय माना हा ।

37. यदि जन सूचना अधिकारी सूचना का पकट करना उचित समझता ह ता उस आवदन पाप्ति की तारीख क 5 दिन क भीतर, तीसरी पाटी का एक लिखित सूचना दनी चाहिय कि सूचना का अधिकार अधिनियम स तहत आवदक द्वारा सूचना मांगी गइ ह आर कि वह सूचना का पकट करना चाहता ह। उस पर व्यक्ति स निवदन करना चाहिय कि पर व्यक्ति लिखित अथवा माखिक रूप स सूचना का पकट

करने या न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखे । पर व्यक्ति को प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध प्रतिवेदन करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाना चाहिये ।

38. जन सूचना अधिकारी को चाहिये कि वह पर व्यक्ति के निवेदन को ध्यान में रखते हुए सूचना के प्रकटन के संबंध में निर्णय ले । ऐसा निर्णय सूचना के अनुरोध की प्राप्ति से 40 दिन के भीतर ले लिया जाना चाहिये । निर्णय लिये जाने के प चात, जन सूचना अधिकारी को लिखित में पर व्यक्ति को अपने निर्णय की सूचना देनी चाहये । पर व्यक्ति को सूचना देते समय यह भी बताना चाहिये कि पर व्यक्ति को धारा 19 के अधीन अपील करने का हक है ।

39. पर व्यक्ति जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। यदि पर व्यक्ति प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न हो, तो वह राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।

40. यदि पर व्यक्ति द्वारा जन सूचना अधिकारी के सूचना प्रकट करने के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील याजित की जाती है, तो ऐसी सूचना को तब तक प्रकट नही किया जाना चाहिए जब तक कि अपील पर निर्णय न ले लिया जाए।

अपील और शिकायतें

41. यदि किसी आवेदक को निर्धारित समय–सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध नही करवाई जाती है, अथवा वह दी गई सूचना से संतुष्ट नही होता है, तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी जन सूचना अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ अधिकारी होता है। ऐसी अपील सूचना उपलब्ध कराए जाने की समय–सीमा के समाप्त होने अथवा जन सूचना अधिकारी के निर्णय के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर की जा सकती है। लोक प्राधिकरण के अपीलीय प्राधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपील की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर अथवा वि ाष्ट मामलों में 45 दिन के भीतर अपील का निपटारा कर दे। यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर आदे ा पारित करने में असफल रहता है अथवा यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदे ा से संतुष्ट नही होता है, तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय किए जाने की निर्धारित समय–सीमा समाप्त होने अथवा अपीलकर्ता द्वारा वास्तविक रूप में निर्णय की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकता है।

42. यदि काइ व्यक्ति सबधित लाक पाधिकरण द्वारा जन सचना अधिकारी नियक्त न किए जान क कारण आवदन करन म असमथ रहता ह, अथवा जन सचना अधिकारी उसक आवदन अथवा अपील का सबधित जन सचना अधिकारी अथवा अपीलीय पाधिकारी का भजन क लिए स्वीकार करन स इकार करता ह, अथवा सचना का अधिकार अधिनियम क अधीन सचना का पान क उसक अनराध का ठकरा दिया जाता ह, अथवा अधिनियम म निधारित समय–सीमा क भीतर उसक सचना पाप्त करन क अनराध का पत्यत्तर नही दिया जाता ह, अथवा उसक द्वारा फीस क रूप म एक एसी रा ि अदा करन की अपक्षा की गइ ह जिस वह आचित्यपण नही मानता ह, अथवा उसका वि वास ह कि उस अधरी, भामक व झठी सचना दी गइ ह, ता वह राज्य सचना आयाग क समक्ष ि ाकायत कर सकता ह।

ष्ाास्ति का अधिरोपण

43. जसा कि ऊपर उल्लख किया गया ह, अधिनियम आवदक का राज्य सचना आयाग क समक्ष अपील करन आर ि ाकायत करन का अधिकार दता ह। यदि किसी ि ाकायत अथवा अपील का निणय करत समय राज्य सचना आयाग इस निष्कश पर पहचता ह कि जन सचना अधिकारी न बिना किसी आचित्यपण कारण क, सचना क लिए आवदन का पाप्त करन स मना किया ह अथवा निधारित समय–सीमा क भीतर सचना नही दी ह अथवा सचना क अनराध का दभावनापवक अस्वीकार किया ह अथवा जानबझकर गलत, अपण अथवा भामक सचना दी ह अथवा सबधित सचना का नश्ट किया ह अथवा सचना पदान करन की कायवाही म किसी पकार स बाधा उत्पन्न की ह, ता वह आवदन पाप्ति अथवा सचना दिए जान तक दा सा पचास रूपए पतिदिन क हिसाब स भास्ति लगा दगा। एसी भास्ति की कल रा ि पच्चीस हजार रूपए स अधिक नही हागी। तथापि, भास्ति लगाए जान स पव जन सचना अधिकारी का सनवाइ क लिए पयाप्त अवसर दिया जाएगा। यह सिद्ध करन का भार जन सचना अधिकारी पर हागा कि उसन साच–विचार आर सदा ायता स काय किया तथा उक्त अनराध क अस्वीकार करन क मामल म एसा अस्वीकरण न्यायसगत था

44. यदि किसी ि ाकायत अथवा अपील पर निणय दत समय राज्य सचना आयाग का यह मत हाता ह कि जन सचना अधिकारी न बिना किसी उचित कारण क आर लगातार रूप स सचना हत किसी आवदन का पाप्त करन म लापरवाही बरती; अथवा निधारित समय क भीतर सचना नही दी; अथवा दभावनापवक सचना हत अनराध का अस्वीकार किया; अथवा जानबझकर गलत, अपण अथवा भामक सचना दी; अथवा अनराध क विशय की सचना का नश्ट किया; अथवा सचना दन म किसी पकार स बाधा उत्पन्न की ता वह जन सचना अधिकारी क विरूद्ध अन ाासनिक कारवाइ की अन ासा कर सकता ह।

जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई

45. यदि किसी िकायत अथवा अपील पर निणय दत समय राज्य सचना आयाग का यह मत हाता ह कि जन सचना अधिकारी न बिना किसी उचित कारण क आर लगातार रूप स सचना हत किसी आवदन का पाप्त करन म लापरवाही बरती; अथवा निधारित समय क भीतर सचना नही दी; अथवा दभावनापवक सचना हत अनराध का अस्वीकार किया; अथवा जानबझकर गलत, अपण अथवा भामक सचना दी; अथवा अनराध क विशय की सचना का नश्ट किया; अथवा सचना दन म किसी पकार स बाधा उत्पन्न की ता वह जन सचना अधिकारी क विरूद्ध अन ाासनिक कारवाइ की अन ासा कर सकता ह।

सदाशयता (नेकनीयती) में किए गए कार्य की संरक्षा

46. अधिनियम की धारा 21 म यह पावधान ह कि अधिनियम अथवा उसक तहत बनाए गए किसी नियम क अधीन नकनीयती स किए गए काय अथवा एसा काय करन क इराद की वजह स, किसी व्यक्ति क विरूद्ध काइ भी मकदमा, अभियाजन अथवा अन्य विधिक कायवाही नही की जाएगी। तथापि, जन सचना अधिकारी का ध्यान रखना चाहिए कि यह साबित करना उसका उत्तरदायित्व हागा कि उसक द्वारा की गइ अभिकिया नकनीयती म की गइ थी।

राज्य सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

47. राज्य सचना आयाग पत्यक वश सचना का अधिकार अधिनियम क पावधाना क कायन्वयन की एक रिपाट तयार करता ह, जिस विधान मण्डल क समक्ष रखा जाता ह। इस रिपाट म, अन्य बाता क साथ–साथ, पत्यक लाक पाधिकरण का पाप्त अनराधा की संख्या, एस निणया की संख्या जिनम आवदनकताआ का मांग गए दस्तावज पाप्त करन का हक नही था, अधिनियम क व पावधान जिनक अधीन य निणय किए गए आर एस पावधाना क आहवान क अवसरा की संख्या तथा अधिनियम क तहत पत्यक लाक पाधिकरण द्वारा एकत्र किए गए पभार की राि का विवरण दना हाता ह। पत्यक विभाग स अपक्षा की जाती ह कि व अपन अधिकार–क्षत्र म आन वाल सभी लाक पाधिकरणा स यह सचना एकत्र कर आर इस आयाग का भज। जन सचना अधिकारी का चाहिए कि वह सम्बन्धित सचना तयार रख ताकि वश क समाप्त हात ही वह इस अपन प ाासकीय विभाग का भज सक आर विभाग इस आयाग का उपलब्ध करवा सक।